भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 883

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त निधि

883. श्री सुब्बारायण के.:
श्री सेल्वाराज वी.:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70 प्रतिशत स्वास्थ्य परिचर्या निजी क्षेत्र में है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पर्याप्त निधि प्रदान करने का है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार की क्या योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-2021) के अनुसार, परिवार के 48.2% सदस्य आमतौर पर बीमार होने पर निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का उपयोग करते हैं, जबकि परिवार के 50.1% सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों (**अनुलग्नक-I**) का उपयोग करते हैं। एनएफएचएस-5 इंडिया रिपोर्ट https://rchiips.org/NFHS/index.shtml पर देखी जा सकती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना करती है जो देश भर में लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हैं। एनएचएम में इसके दो उप-मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

(एनयूएचएम) शामिल हैं। कार्यक्रम संबंधी मुख्य घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) और संचारी और गैर-संचारी रोग शामिल हैं।

स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वितीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार ने स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में अनिवार्य औषधियाँ और नैदानिक सुविधाएं निशुल्क प्रदान करने के लिए निशुल्क औषधियाँ और निशुल्क नैदानिक पहल शामिल हैं। एनएचएम के तहत, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उन्नत जीवन रक्षक प्रणाली (ए एल एस), बुनियादी जीवन रक्षक प्रणाली (बीएलएस) और रोगी परिवहन वाहन (पी टी वी) एम्बुलेंस प्रणाली द्वारा देश में रेफरल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है। स्वास्थ्य परिचर्या वहनीयता में सुधार करने के लिए एनएचएम के तहत मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) और टेलीमेडिसिन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। एमएमयू दूरस्थ, कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए आउटरीच कार्यकलाप करते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनएचएम के तहत केंद्रीय स्तर पर जारी धनराशि का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक- II** में दिया गया है।

सरकार ने चार मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी)), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शामिल हैं।

पीएम-एबीएचआईएम को प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों की क्षमता विकसित तथा, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने और नई और उभरती बीमारियों का पता लगाने और इलाज के लिए नए संस्थान बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत केंद्र स्तर पर जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक- III** में दिया गया है।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए हैं और ये जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की सुविधा प्रदान करेंगे।

1.64 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान

की जाती है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करते हुए सेवाओं की एक विस्तारित श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करते हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है, जो भारत की आबादी के निचले 40% तबके वाले 12.34 करोड़ परिवारों को कवर करता है। इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों को नकदीरहित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए पैनलबद्ध किया गया है। एबी पीएमजेएवाई के लिए बजट आवंटन 2017-18 (बीई) में 3,975.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 (बीई) में 10,200 करोड़ रुपये हो गया है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना में सहयोग करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करना है। यह डिजिटल हाइवेस के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को पाट देगा। फरवरी, 2024 तक 55 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) बनाए जा चुके हैं।

डीओएचएफडब्ल्यू के लिए बजट आवंटन 2017-18 (बीई) में 47,353 करोड़ रुपये से 85% बढ़कर 2024-25 (बीई) में 87,657 करोड़ रुपये हो गया है।

****

दिनांक 26.07.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 883 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक- I

बीमार होने पर परिवार के सदस्यों द्वारा आमतौर उपयोग किए जाने वाले स्वास्थ्य परिचर्या के स्रोत के अनुसार परिवारों की प्रतिशतता वितरण - एनएफएचएस-5 (2019-21)

स्रोत	कुल
जन स्वास्थ्य क्षेत्र	50.1
सरकारी/नगर निगम अस्पताल	20.2
सरकारी औषधालय	1.9
यूएचसी/यूएचपी/यूएफडब्ल्यूसी	1.5
सीएचसी/ग्रामीण अस्पताल/ब्लॉक पीएचसी	14.6
पीएचसी/अतिरिक्त पीएचसी	10.3
उप-केंद्र	1.2
वैद्य/हकीम/होम्योपैथ (आयुष)	0.2
अन्य जन स्वास्थ्य क्षेत्र	0.2
एनजीओ या ट्रस्ट अस्पताल/क्लिनिक	0.5
निजी स्वास्थ्य क्षेत्र	48.2
निजी अस्पताल	17.6
निजी चिकित्सक/क्लिनिक	28.2
निजी पैरामेडिक	0.4
वैद्य/हकीम/होम्योपैथ (आयुष)	0.1
पारंपरिक उपचारक	0.1
फार्मेसी/दवा की दुकान	0.7
अन्य निजी स्वास्थ्य क्षेत्र	1.0
अन्य स्रोत	1.2
दुकान	0.1
घरेलु उपचार	0.1
अन्य	1.0
कुल	100

स्रोत: एनएफएचएस-5 राष्ट्रीय रिपोर्ट; http://rchiips.org/nfhs/index.shtml

दिनांक 26.07.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 883 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

				अनुलग्नक- II
वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्र स्तर पर जारी धनराशि				
				करोड़ रु. में
क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43.68	45.26	37.84
2	आंध्र प्रदेश	1,199.37	1,489.45	1,096.01
3	अरुणाचल प्रदेश	188.53	233.82	404.55
4	असम	1,955.93	1,981.83	2,257.06
5	बिहार	1,748.76	1,586.57	2,032.95
6	चंडीगढ़	17.47	38.09	30.58
7	छत्तीसगढ़	969.61	1,195.08	875.80
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	38.59	58.28	39.92
9	दिल्ली	127.37	35.15	150.54
10	गोवा	26.01	55.42	48.97
11	गुजरात	1,094.48	1,120.06	1,506.96
12	हरियाणा	577.07	681.21	524.01
13	हिमाचल प्रदेश	555.09	494.65	470.36
14	जम्मू और कश्मीर	459.10	651.52	805.22
15	झारखंड	640.18	810.30	958.06
16	कर्नाटक	1,274.71	1,246.67	1,187.60
17	केरल	771.47	1,036.76	189.15
18	लद्दाख	44.79	94.94	120.44
19	लक्षद्वीप	8.41	9.97	3.79
20	मध्य प्रदेश	2,295.66	2,582.10	2,545.68
21	महाराष्ट्र	1,769.67	2,187.13	2,729.30
22	मणिपुर	95.59	61.40	169.12
23	मेघालय	282.46	261.56	261.39
24	मिजोरम	93.82	111.82	134.42
25	नागालैंड	126.66	91.38	184.84
26	ओडिशा	1,263.07	1,284.69	1,901.77
27	पुदुचेरी	21.33	20.73	30.80
28	पंजाब	349.21	448.89	91.49
29	राजस्थान	1,924.95	1,460.80	2,785.46
30	सिक्किम	51.86	73.30	68.17
31	तमिलनाडु	1,631.91	1,652.24	1,996.06
32	तेलंगाना	725.67	683.77	564.93
33	त्रिपुरा	217.95	231.90	264.31
34	उत्तर प्रदेश	3,235.46	5,133.59	4,928.14
35	उत्तराखंड	553.47	505.01	711.33
36	पश्चिम बंगाल	1,654.26	1,252.32	890.42

नोट: उपरोक्त जारी धनराशि केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

दिनांक 26.07.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 883 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक- III

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्र स्तर पर जारी धनराशि

करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	1.11	-
2	आंध्र प्रदेश	3.75	15.76	35.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0.56	0.1	8.83
4	असम	57.9	2.26	91.45
5	बिहार	125.86	7.17	-
6	चंडीगढ़	-	4.79	10.38
7	छत्तीसगढ़	11.25	1.34	32.23
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	-	0.24	0.28
9	दिल्ली	-	-	-
10	गोवा	-	0.06	3.75
11	गुजरात	-	29.54	46.04
12	हरियाणा	11.06	1.31	17.67
13	हिमाचल प्रदेश	-	28.05	15.69
14	जम्मू और कश्मीर	16.11	1	44.01
15	झारखंड	44.7	183.04	102.27
16	कर्नाटक	11.25	37.1	100.57
17	केरल	3.75	24.89	-
18	लद्दाख	-	0	0.62
19	लक्षद्वीप	-	0.63	-
20	मध्य प्रदेश	22.85	98.7	228.52
21	महाराष्ट्र	17.45	4.07	31.76
22	मणिपुर	4.56	10.92	13.78
23	मेघालय	9.65	43.28	4.42
24	मिजोरम	0.28	1.52	4.52
25	नागालैंड	0.28	0.08	4.42
26	ओडिशा	32.15	211.46	174.89
27	पुदुचेरी	0.42	0.19	2.67
28	पंजाब	-	24.16	-
29	राजस्थान	45.37	83.59	173.06
30	सिक्किम	-	0.75	3.88
31	तमिलनाडु	17.45	150.42	279.36
32	तेलंगाना	11.25	53.88	95.21
33	त्रिपुरा	-	0.9	2.48
34	उत्तर प्रदेश	124.63	173.71	247.96
35	उत्तराखंड	1.56	32.31	-
36	पश्चिम बंगाल	9.95	-	30.91

नोट: उपरोक्त जारी धनराशि केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।